

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र०/योजना/ध/हा.से./उ.वि.से./20011-12/20
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/2/12

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(जिला झाबुआ, बडवानी, मण्डला, डिण्डोरी, व अनूपपुर को छोड कर) मध्यप्रदेश।

विषय:- सांदीपनी संस्कृत भाषा का प्रसार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्रत्येक विकासखंड में संस्कृत का अध्यापन करने हेतु संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद निर्माण की स्वीकृति बावत् ।

संदर्भ:- लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क./योजना/हा.से./उ.वि.से./2008-09/
76-77, दिनांक 19-02-2009 ।

विषयांकित सन्दर्भित पत्र द्वारा सांदीपनी संस्कृत भाषा का प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 224 विकासखंडों में प्रत्येक में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के एक पद के मान से 224 पदों की स्वीकृति दी गई थी जो तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

Shankar
आयुक्त 3/2/12

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र०/योजना/ब/ हाई + हा.से./उ.वि.से./2007-08/21
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6/2/12

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
2. महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर ।
3. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी म०प्र० (जिला झाबुआ, बडवानी, मण्डला, डिण्डोरी, व अनूपपुर को छोड कर)
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म०प्र० (जिला झाबुआ, बडवानी, मण्डला, डिण्डोरी, व अनूपपुर को छोड कर) ।
5. संबंधित मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म०प्र० (जिला झाबुआ, बडवानी, मण्डला, डिण्डोरी, व अनूपपुर को छोड कर) ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म०प्र० ।
7. पातांजली संस्कृत संस्थान 1250 तुलसी नगर भोपाल म०प्र० ।
8. सहायक संचालक स्थापना-2, शिक्षा कर्मी, संस्कृत प्रकोष्ठ व योजना -अ टेबल, उत्कृष्ट विद्यालय एवं बजट स्थानीय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Shankar
आयुक्त 3/2/12

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश